न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी, (आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 09/2023

प्रार्थीगणः–

1. कैलाश जैन पुत्र श्री दलीचन्द जैन जाति जैन, निवासी बायतु चिमनजी, तहसील बायतु जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी, पंचायत समिति बायतु, जिला बालोतरा।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बायतु, जिला बालोतरा।
3. मिश्रीमल पुत्र श्री दलीचन्द
4. श्रीमती सुआदेवी पत्नी दलीचन्द जातियान जैन, निवासियान बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 42 मिसल संख्या 32/03–04 दिनांक 05.03.2004 जो विप्रार्थी सं. 03 के नाम ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओम प्रकाश डाबी, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 03 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी सं. 04 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 10.07.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी द्वारा जारी पट्टा संख्या 42 मिसल संख्या 32/03–04 दिनांक 05.03.2004 के विरूद्ध दिनांक 02.05.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी द्वारा विप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(क) के तहत ग्राम बायतु चिमनजी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 42 दिनांक 05.03.2004 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 3074.00 वर्गफुट दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ौस बदिशा उतर में रमेश कुमार मानमल का मकान व 90, दक्षिण में सोहनलाल, जुगराज, बाबूलाल का मकान व 104 फीट, पूर्व में गोकलचंद सोनी का मकान व 30.6 फीट, पश्चिम में आम रास्ता व 30.6 फीट अवस्थित है। उक्त आलोच्य भूखण्ड मौजा बायतु चिमनजी की आबादी भूमि में अवस्थित है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 03 व 04 के मालिकाना स्वामित्व का कब्जा सुदा भुखण्ड है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 03 व 04 दलीचन्द पुत्र श्री मिश्रीमल के विधिक वारिसान है। जो प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 03 दलीचन्द के पुत्र व विप्रार्थी संख्या 04 पत्नी है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी द्वारा प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 03 के नाम से पंचायती राज अधिनियम 1996 के

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

नियम 157(1) के तहत विधिसम्मत रूप से उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया था। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 03 व 04 दलीचन्द पुत्र श्री मिश्रीमलजी के विधिक वारिसान है। जो कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 03 दलीचन्दजी के पुत्र व विप्रार्थी संख्या 04 विधिक पत्नी है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 03 दोनों दलीचन्द की संतान होने से व विप्रार्थी संख्या 04 पत्नी होने से सभी संयुक्त रूप से ग्राम बायतु चिमनजी की आबादी भूमि में स्थित बड़े भूखण्ड में रहवास करते थे जहां उनके पुश्तैनी पुराने कच्चे व पक्के मकानात बने हुए थे। दलीचंनदजी के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त पुस्तैनी भूखण्ड में तीनों का 1/3, 1/3 व 1/3 विधिक हक–हिस्सा था। मगर अप्रार्थी संख्या 03 बाहर राज्य में व्यापार करने से उसे रुपयों की जरूरत होने से पारिवारिक बंटवाड़े का समझौता पत्र दिनांक 14.01.2004 को प्रार्थी के पक्ष में जारी करते हुए अप्रार्थी संख्या 03 ने 4,00,000/– रुपये अक्षरे चार लाख रुपये मात्र नगद प्राप्त कर उक्त भूखण्ड में से अपना 1/3 हिस्सा सर्वसम्मति से हकतर्क कर दिया था। इससे कानूनी व विधिक रूप से उक्त पुश्तैनी जायदाद से अप्रार्थी संख्या 03 का हिस्सा अवधिक सम्मत समाप्त हो गया तथा आपसी पारिवारिक बंटवाड़े के बाद से केवल मात्र प्रार्थी का ही भूखण्ड पर विधिक व कानूनी व रूप से उपयोग कर रहा है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 04 जो कि पारिवारिक सदस्यों की सर्व सम्मति से दे दिया। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण भूखण्ड पर केवल मात्र वर्तमान में प्रार्थी का ही उपयोग, उपभोग व रहवास निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। जिसमें कभी भी विप्रार्थी संख्या 03 या पारिवारिक सदस्यों ने दखलअंदाजी या हस्तक्षेप नहीं किया था क्योंकि अप्रार्थी संख्या 03 ने आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा के जरिये अपना हक–हिस्सा 1/3 के प्रतिफल पेटे 4 लाख रुपये प्राप्त कर निगराकार को बेचान कर दिया था जिससे उक्त भूखण्ड में अप्रार्थी में अप्रार्थी संख्या 03 का विधिक व कानूनी रूप से कोई हक व अधिकार नहीं था। परंतु उपरोक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करते समय प्रार्थी ने विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को पारिवारिक बंटवाड़ा के इकरारनामा की छाया प्रति दिखाकर उपरोक्त सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा केवल मात्र प्रार्थी के पक्ष में जारी करने हेतु पत्रावली पेश की मगर प्रार्थी संख्या 01 व 02 की गलती व लिपिकीय त्रुटि से पट्टे में प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 03 दोनों का संयुक्त नाम से जारी होने का प्रार्थी को यह विश्वास दिलवाया था कि पट्टे में गलती से दोनों नाम संयुक्त रूप से दर्ज हो गए है शीघ्र ही पट्टे में सही नाम दर्ज करवा कर संशोधन कर दिया जायेगा। इस प्रकार झांसा देते रहे। इस पर प्रार्थी अपने भाई होने से उस पर पूर्ण विश्वास व भरोसा किया तथा अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा कभी भी उक्त भूखण्ड पर वाद–विवाद नहीं करने पर प्रार्थी ने विप्रार्थी के विश्वास व भरोसे में रहा। परंतु वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अपना नाम पट्टे से हटवाने से साफ इंकार करने से विवाद उत्पन्न हुआ, जिससे यह अपील इस न्यायालय में दर्ज हुई।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

आतेरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत द्वारा प्रार्थी द्वारा पेश किए बए आपसी बंटवाड़ा के दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया न ही इस प्रकार उक्त आलोच्य पट्टा पूर्णतया विधि के प्रतिकूल, अवैधानिक, अनियमित तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों के विरूद्ध जाकर जारी किया गया है, जिससे आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 03 ने दौराने बहस में कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 61 के तहत अपील का विशिष्ट प्रावधान है, जिसमें अपील दायर किए बिना श्री न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका चलने योग्य नहीं है, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 61 के तहत ग्राम पंचायत के आदेश के खिलाफ अपील पंचायत समिति के समक्ष होती है।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 166 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि नियम 154 के तहत आबादी भूमि की बिक्री या नियम 156 के तहत आबादी भूमि के हस्तानांतरण या नियम 157, 158 व 159 के साथ नियम 160 के तहत भूमि के आवंटन की पुष्टि करने वाली पंचायत समिति के समक्ष अपील की जाएगी जिससे पट्टे की निगरानी श्री अदालत में पोषणीय नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समझोता पत्र अपंजीकृत साक्ष्य होने से में ग्राहय योग्य नहीं है और पेश किए गए हकतर्कनामा रजिस्ट्रीकृत नहीं होने से साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं है। अगर निगरानीकार एक तरफ हकतर्क करने का कथन करता है जो अपने आप में विरोधाभाषी, निगरानी में उक्त विवादों का विनिश्चिय नहीं किया जा सकता है। निगरानी मयाद बाहर होने से काबिल खारिज होने योग्य है। उक्त आलौच्य पट्टे की निगरारनीकर्ता द्वारा पंचायतीराज नियमों के तहत अपील पंचायत समिति में नहीं की गई है, जिससे निगरानी इस न्यायालय में पेश करने योग्य नहीं है।

हकतर्कनामा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(14) के अन्तर्गत लिखित की परिभाषा में आता है और उसका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार ऐसे दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण भी अनिवार्य हैं।

6. हमनें पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उक्त भूखण्ड का पट्टा केवल मात्र प्रार्थी के पक्ष में जारी करवाने हेतु पत्रावली पेशी की थी जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त भूखण्ड के पट्टे के लिए प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 03 द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया था। मूल पत्रावली की आदेशिका में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि प्रार्थी श्री मिश्रीमल कैलाश कुमार पुत्र श्री दलीचंद कौम ओसवाल निवासी बायतु चिमनजी का प्रार्थना पत्र मय नक्शा के वास्ते पुराना कब्जा सुद प्लाट पर बने पुराना गृह का विनियमितिकरण कर विक्रय विलेख देने बाबत् पेश हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता ने उल्लेखित किया कि उक्त आलौच्य भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पैतृक स्वामित्व का न होकर प्रार्थी के स्वामित्व का है, उक्त हस्तगत प्रकरण जिसका आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का मौका निरीक्षण नहीं किया तथा न ही सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस प्रकाशित किया जिसके अभाव

न्यायालय अधर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

मे पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही दूषित होने से आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त योग्य हैं। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी से तलब किया गया अभिलेख का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 2 ने संयुक्त रूप से सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आबादी मे अपने कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का निवेदन किया, जिस पर पत्रावली संधारित की जाकर मौका कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने की आदेशिका जारी हुई है। इसके पश्चात मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट पेश हुई जिसमे प्रार्थी एवं विप्रार्थी के पक्ष मे नियम 157(1) के तहत नियमितीकरण की सिफारिश की गई। मौक़ा निरीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की जाकर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया जिस पर निर्धारित अवधि मे कोई आपत्ति पेश नहीं होने पर दिनांक 05.03.2004 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के संपूर्ण नियम का विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर उक्त आलोच्य पट्टा नियम 157(1) के तहत प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में पट्टा सं. 42 दिनांक 05.03.2004 को जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है। जहां तक प्रार्थी का कथन हैं कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थीगण का एकल स्वामित्व कब्जा नियमित रूप से स्वामित्व का कब्जा कायम रहा है, तो इसके समर्थन मे प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हों कि भूखण्ड प्रार्थीगण का हैं। इसके अलावा भी आलौच्य पट्टा विलेख जारी होने से यदि प्रार्थीगण अपने हक–अधिकार प्रभावित होना मानते हैं तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। ऐसे मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप विप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 42 दिनांक 05.03.2004 को बहाल रखते हुए प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होना पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **10.09.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं दर्ज नम्बर से कम हो।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा